पत्रांक– 1प्रा0आ0 –63 / 2007 / 3864 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

286

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

पटना–15, दिनांक– 21/10/14

विषयः– **प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता के संबंध मे।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा वर्ष 2007 के बाढ़ में लापता व्यक्तियों को अनुग्रह अनुदान स्वीकृति के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक–70 / आ0प्र0, दिनांक–12.01.2009 द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता हेतु प्रावधान किया गया है जो वर्ष 2008–09 एवं उसके उपरान्त घटित घटनाओं पर ही लागू है।

इस संबंध में विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 के पूर्व आपदा के कारण लापता व्यक्तियों के संबंध में विधि विभाग से परामर्श की मांग गई। विधि विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि आपदा में लापता हो गये किसी व्यक्ति को 7 (सात) वर्षों के बाद मृत माना जाएगा, जब उस अवधि के दौरान लापता हुए व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदार एवं नजदीक के व्यक्ति द्वारा उसे देखा या सुना नहीं गया हो।

इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम The Indian Evidence Act, 1872 की धारा–108 निम्नवत है –

Burden of proving that person is alive who has not been heard of for seven years-

Provided that when the question is whether a man is alive or dead and it is proved that he has not been heard of for seven years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Rubabbuddin v State (2007) 4 SCC 404. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि –

Death of a missing person can be presumed only after seven years of his going missing and not before that.

उपरोक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा समाचार पत्रों में संबंधित व्यक्ति के लापता होने की सूचना प्रकाशित करायी जाएगी तथा एक माह की प्रतीक्षा के पश्चात संबंधित व्यक्ति के जीवित होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं होने पर उसे मृत मानते हुए उस व्यक्ति के Next of Kin को अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

21/10/14

(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक– 3864 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 21/10/14

प्रतिलिपि–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार (समस्तीपुर को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/10/14
विशेष सचिव

D:\2014\yojna 2014\letter 20-10-14 pri sec.docx